संख्या-06/2016/893/62-1-2016-830/98

प्रेषक,

प्रवीर कुमार,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3-समस्त विभागाध्यक्ष उत्तर प्रदेश।
4- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-1 लखनऊ/ दिनांक 06 जुलाई 2016

विषय-प्रदेश में दिनांक 16 से 22 जुलाई 2016 तक "भूजल सप्ताह" का आयोजन किया जाना।

महोदय,

आप अवगत हैं कि विगत वर्षो में प्रदेश में काफी कम वर्षा हुई है और अनेक जनपदों में सूखे के हालात उत्पन्न होने के साथ शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में भूजल का संकट भी खडा हो गया है। वहीं सिंचाई, पेयजल व औद्योगिक सेक्टर्स में भूजल पर निरन्तर बढती निर्भरता से अनेक क्षेत्रों में अतिदोहन की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। लगभग सभी प्रमुख शहरों में भूजल स्तर मे जहॉ भारी गिरावट हो रही है वहीं प्रदेश के 179 विकासखण्ड अतिदोहित/क्रिटिकल श्रेणी में पहुंच गये हैं। भूजल उपलब्धता में कमी आने के साथ भूजल प्रदूषण व जल प्लावन की समस्यायें नयी चुनौतियों के रूप में सामने आ रही हैं। यह स्थिति चिन्ताजनक है।

2- राज्य सरकार भूजल की सुरक्षा, नियोजित विकास, संरक्षण एवं उसके विवेकयुक्त उपयोग तथा विनियमित दोहन के प्रति अति गम्भीर हैं और इस दिशा में प्रभावी कार्यवाही हेतु प्रदेश में भूजल प्रबन्धन वर्षा जल संचयन एवं भूजल रिचार्ज हेतु समग्र नीति प्रख्यापित की गयी है। इस समग्र नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए विकास एजेण्डा वर्ष 2016-17 में सम्मिलिति किया गया है; जिसके अन्तर्गत भूजल

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संरक्षण के शासकीय प्रयासों के साथ-साथ आम जनता को भी इसमें बडी संख्या में जोडने के लिए जन-जागरूकता व प्रचार-प्रसार पर बल दिया जा रहा है।

3- उत्तर प्रदेश अकेला ऐसा राज्य है, जहाँ भूजल सम्पदा के महत्व के प्रति जन-जागरूकता सृजित करने के उददेश्य से प्रत्येक वर्ष दिनांक 16 से 22 के मध्य "भूजल सप्ताह" मनाये जाने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में शासनादेश संख्या-732/62-1-2012-830/98, दिनांक 05 जून, 2012 के माध्यम से सम्पूर्ण प्रदेश में भूजल जन-जागरूकता हेतु प्रत्येक वर्ष उक्त अवधि में भूजल सप्ताह को वृहद स्तर पर मनाये जाने के उद्देश्य से राज्य, मण्डल, जनपद, तहसील एवं विकासखण्ड स्तर पर विविध जन-जागरूकता कार्यक्रमों को आयोजित किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं; जिसमें सभी विभागों के सहयोग एवं सहभागिता के साथ विशेष रूप से स्थानीय स्कूल, कालेज, शैक्षिक संस्थानों आदि की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित कराये जाने पर बल दिया गया है।

4- उपरोक्त के क्रम में गत वर्षो की भाँति इस वर्ष भी सम्पूर्ण प्रदेश में मण्डल, जनपद, तहसील एवं विकासखण्ड स्तर तक दिनांक 16 से 22 जुलाई 2016 के मध्य "भूजल सप्ताह" वृहद स्तर पर मनाये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः उक्त के संबंध में अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी विभागों; अर्द्धसरकारी संस्थाओं/निगमों तथा अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि शासनादेश दिनांक 05जून 2012 के प्रस्तर-4 व 5 में दी गयी व्यवस्थानुसार तैयारियां तत्काल आरम्भ कर दी जाये और प्रदेश भर में भूजल सप्ताह का आयोजन प्रभावी ढंग से सुनिश्चित कराया जाय तथा आयोजन की विस्तृत रिपोर्ट राज्य मुख्यालय को दिनांक 01 अगस्त 2016 को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जाय।

5- इस कार्यक्रम के सफलतापूर्वक आयोजन में मण्डलायुक्त, जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारियों की विशेष भूमिका है। जनपद स्तर पर पूरे सप्ताह मनाये जाने वाले इस आयोजन के अन्तर्गत दिनांक 16 से 22 जुलाई तक प्रत्येक दिन कार्यक्रमों की कार्य योजना इस प्रकार बनायी जाये कि भूजल संरक्षण का संदेश आम जनता तक पहुंचे और वह इसके प्रति संवेदनशील बन सके। प्रत्येक जनपद में दिनांक 16 से 22 जुलाई 2016 तक भूजल सप्ताह का उदघाटन, गोष्ठी, रैली, पद यात्रा, के माध्यम से किया जायेगा तथा दिनांक 22 जुलाई को भूजल सप्ताह का समापन कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। इस मध्य दिनांक 17 से 22 जुलाई तक स्कूल-कालेजों के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

छात्र-छात्राओं के लिए विभिन्न प्रतियोगितायें, शिक्षकों की सहभागिता, विचार गोष्ठी, प्रदर्शनी के आयोजन के साथ सुधारे गये तालाबों, फार्म पाण्डस, चेक डैम्स, रूफ टाप रेनवाटर हार्वेस्टिंग, आन फार्म हार्वेस्टिंग, एकीकृत जलागम प्रबन्धन से जुडी जल संरक्षण योजनाओं व कार्यों का उदघाटन/शिलान्यास/लोकार्पण यथासंभव माननीय जन प्रतिनिधियों के माध्यम से कराया जायेगा। भूजल संरक्षण व वर्षा जल संचयन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों/गैर सरकारी संगठनों को इस सप्ताह में सम्मानित किया जा सकता है।

6- समस्त जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जनपद स्तर पर चूँकि भूगर्भ जल विभाग के अधिकारी तैनात नहीं है, अन्य संबंधित विभागों यथा- कृषि सिंचाई, लघु सिंचाई, विकास प्राधिकरण, नगर निगम/नगर पालिका, आवास, ग्राम्य विकास, पंचायतीराज, उ0प्र0 जल निगम, लोक निर्माण, उद्यान, शिक्षा विभाग आदि के अधिकारियों की एक टीम बनायी जाये, जो इस कार्यक्रम को सफल बनायेगी। भूगर्भ जल विभाग के मण्डल मुख्यालय पर तैनात अधिकारी इस हेतु समुचित तकनीकी सहयोग प्रदान करेंगे। इस आयोजन की व्यापक सफलता के लिए गैर सरकारी संगठनों औद्योगिक प्रतिष्ठानों, बिल्डर्स, जल उपभोक्ता समितियों, पानी पंचायत आदि का भी यथा सम्भव सहयोग लिया जाये।

7- इस वर्ष का मुख्य विचार बिन्दु "वर्षा जल संचय करें- भूजल सम्वर्धन बढायें" (Harvest Rain Water-Enhance Ground Water Recharge) रखा गया है, जिस पर उक्त आयोजन केन्द्रित रहेगा।

8- उक्त के परिपेक्ष्य में प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भूगर्भ जल विभाग द्वारा एक राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन भी किया जायेगा, जिसके सफलता पूर्वक सम्पादन हेतु संबंधित समस्त विभाग अपेक्षित सहायोग प्रदान करेंगे।

कृपया उपरोक्त के संबंध में निर्देश दिये जाते हैं कि दिनांक 16 से 22 जुलाई, 2016 के मध्य सम्पूर्ण प्रदेश में उपरोक्तानुसार "भूजल सप्ताह" का आयोजन प्रभावी ढंग से सुनिश्चत कराया जाये।

भवदीय,

(प्रवीर कुमार)
मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-06/2016/893/62-1-2016-830/98तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश।

2- स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

3- स्टाफ आफीसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।

4- स्टाफ आफीसर, औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।

5- उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण।

6- आयुक्त, समस्त नगर निगम।

7- निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(रेणुका कुमार)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।